

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3498

जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 मार्च, 2025/30 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की मांग

3498. श्री राहुल कस्वा:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में कई कृषि प्रधान राज्यों में उर्वरकों की मांग विगत तीन वर्षों के दौरान पर्याप्त रूप से पूरी नहीं हो पाई है;
- (ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों की कमी का राजस्थान सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण उर्वरकों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): राजस्थान राज्य सहित देश में उर्वरकों की उपलब्धता पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पर्याप्त रही है। पिछले 3 वर्षों में और खरीफ 2024 और रबी 2024-25 मौसम (01.10.2024 से 16.03.2025 तक) में राजस्थान राज्य सहित राज्यों में उर्वरकों जैसे यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस की आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टॉक संबंधी जानकारी **अनुलग्नक** में दी गई है।

(ग) और (घ): राजस्थान राज्य सहित देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं -

- i. प्रत्येक फसल मौसम के प्रारंभ होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।
- ii. अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों की पर्याप्त मात्राओं का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

- iii. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।
- iv. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएण्डएफडब्ल्यू) और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि अधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों से प्राप्त सूचनानुसार उर्वरकों को भेजने की सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

इसके अतिरिक्त, वहनीय मूल्यों पर यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यूरिया सब्सिडी स्कीम के तहत, वर्तमान में इसे सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। यूरिया की 45 किग्रा बोरी की एमआरपी 242 रुपये प्रति बोरी (नीम लेपन के प्रभार और यथा लागू करों को छोड़कर) है। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के बीच के अंतर को भारत सरकार द्वारा यूरिया उत्पादक/आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है।

इसके अलावा, सरकार ने फास्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषकतत्व आधारित सब्सिडी नीति कार्यान्वित की है। इस नीति के अंतर्गत, अधिसूचित पीएण्डके उर्वरकों पर उनकी पोषकतत्व मात्रा के अनुसार वार्षिक/अर्ध-वार्षिक आधार पर तय की गई सब्सिडी की एक नियत राशि प्रदान की जाती है। पीएण्डके क्षेत्र विनियंत्रित है और उर्वरक कंपनियों को तर्कसंगत स्तरों पर एमआरपी निर्धारित करने की अनुमति है। उर्वरक कंपनियां बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार उर्वरकों का उत्पादन/आयात करती हैं। सरकार प्रमुख उर्वरकों और कच्चे माल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की निगरानी करती है और किसानों को पीएण्डके उर्वरकों की वहनीय कीमतों पर आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु पीएण्डके उर्वरकों के लिए वार्षिक/अर्ध-वार्षिक आधार पर एनबीएस दरें निर्धारित करते समय उतार-चढ़ाव, यदि कोई हो, को सम्मिलित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, हाल ही में भू-राजनीतिक संकट के कारण जिससे उर्वरकों की आपूर्ति में बड़ा व्यवधान पैदा हुआ खरीफ 2024 में किसानों को पीएण्डके उर्वरकों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए गए। जुलाई 2024 में, सरकार ने दिनांक 01.04.2024 से 31.12.2024 तक की अवधि के लिए एनबीएस दरों के अतिरिक्त 3500 प्रति मीट्रिक टन की दर से डीएपी पर एकबारगी विशेष पैकेज के माध्यम से नियमित आयातों को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपाय किए, जिसे किसानों को वहनीय कीमत पर डीएपी की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अब दिनांक 31.03.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

यह अनुलग्नक 21.03.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं.3498 के उत्तर के भाग (क) से (ख) से संबंधित है।

अनुलग्नक													
चालू रबी 2024-25 (16.03.2025 तक) के दौरान उर्वरकों की मांग, उपलब्धता और बिक्री													
आंकड़े एलएमटी में													
क्र.सं.	राज्य	यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
		मांग	उपलब्धता	बिक्री	मांग	उपलब्धता	बिक्री	मांग	उपलब्धता	बिक्री	मांग	उपलब्धता	बिक्री
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	8.74	11.46	8.97	1.96	2.75	2.29	0.74	1.67	0.96	8.59	11.96	9.61
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	1.53	2.36	1.96	0.23	0.44	0.35	0.27	0.49	0.25	0.33	0.42	0.28
5	बिहार	12.56	16.08	14.47	2.94	4.56	3.98	1.13	2.21	1.48	3.95	5.08	3.84
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	2.28	4.12	2.60	0.68	1.33	0.90	0.14	0.54	0.16	0.57	0.92	0.52
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.14	0.23	0.19	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
12	गुजरात	13.27	14.34	12.73	2.68	3.14	2.74	0.63	0.87	0.63	3.81	5.77	4.28
13	हरियाणा	10.72	14.65	12.36	2.58	2.87	2.70	0.28	0.47	0.20	1.15	0.89	0.67
14	हिमाचल प्रदेश	0.36	0.44	0.29	0.00	0.02	0.02	0.03	0.04	0.02	0.21	0.27	0.17
15	जम्मू और कश्मीर	0.60	1.10	0.52	0.22	0.37	0.22	0.11	0.17	0.04	0.01	0.00	0.00
16	झारखंड	0.95	1.99	1.61	0.25	0.45	0.41	0.03	0.03	0.02	0.30	0.53	0.33
17	कर्नाटक	5.99	10.41	7.03	1.62	2.66	1.86	0.61	1.72	0.90	5.89	12.20	8.12
18	केरल	0.55	0.82	0.57	0.07	0.11	0.09	0.37	0.68	0.41	0.57	0.83	0.62
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	19.88	23.91	20.29	7.88	6.90	5.81	0.58	1.14	0.63	5.81	6.42	4.99
21	महाराष्ट्र	9.08	15.74	10.10	2.29	3.24	2.39	0.89	2.17	1.01	11.25	17.13	9.83
22	मणिपुर	0.09	0.06	0.03	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00
23	मेघालय	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.01	0.13	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	1.61	3.07	1.63	0.65	1.01	0.71	0.23	0.55	0.18	0.70	1.50	0.75
27	पुदुचेरी	0.08	0.08	0.07	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	0.01	0.03	0.07	0.04
28	पंजाब	14.52	18.42	14.88	4.48	4.22	3.81	0.48	0.73	0.36	1.48	1.25	0.95
29	राजस्थान	14.81	18.24	15.68	2.98	3.49	3.31	0.10	0.20	0.12	1.48	1.93	1.55
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	5.72	7.72	6.05	1.23	1.90	1.46	1.14	1.77	1.12	5.70	6.15	4.65
32	तेलंगाना	9.17	11.70	10.16	1.43	1.72	1.45	0.65	0.95	0.61	6.42	8.21	6.32
33	त्रिपुरा	0.09	0.15	0.09	0.01	0.02	0.01	0.02	0.05	0.03	0.01	0.03	0.02
34	उत्तराखंड	0.96	1.23	0.96	0.15	0.34	0.23	0.05	0.07	0.02	0.20	0.15	0.11
35	उत्तर प्रदेश	38.03	49.72	39.18	14.76	14.18	12.08	1.20	1.99	1.24	8.38	8.94	6.89
36	पश्चिम बंगाल	7.79	11.56	8.46	1.67	2.40	1.92	1.62	2.49	1.58	6.66	9.50	6.55
	संपूर्ण भारत	179.56	239.77	190.99	50.77	58.17	48.81	11.29	21.04	11.98	73.52	100.19	71.12

[illegible]

[illegible]

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उर्वरकों की मांग, उपलब्धता और बिक्री													
आंकड़े एलएमटी में													
क्र.सं.	राज्य	यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
		मांग	उपलब्धता	बिक्री	मांग	उपलब्धता	बिक्री	मांग	उपलब्धता	बिक्री	मांग	उपलब्धता	बिक्री
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	16.65	18.39	15.87	4.20	5.43	4.64	3.09	1.42	1.18	15.97	16.27	13.73
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	3.85	4.07	3.56	0.85	0.83	0.63	0.75	0.58	0.47	0.26	0.22	0.19
5	बिहार	22.80	24.68	21.96	6.82	7.15	5.66	2.16	1.55	1.26	3.72	5.35	4.25
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	8.74	10.57	8.38	3.70	4.68	3.14	1.01	0.77	0.56	1.45	1.63	1.06
8	दादरा और नगर हवेली	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.20	0.32	0.28	0.04	0.06	0.05	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11	गोवा	0.03	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.04	0.03	0.03
12	गुजरात	24.00	27.30	24.73	5.50	7.48	6.10	1.15	0.91	0.81	5.85	7.08	5.23
13	हरियाणा	21.50	23.68	20.46	5.70	6.48	5.59	0.60	0.43	0.35	0.70	0.30	0.26
14	हिमाचल प्रदेश	0.76	0.85	0.74	0.02	0.02	0.02	0.07	0.07	0.04	0.39	0.41	0.35
15	जम्मू और कश्मीर	1.68	1.93	1.60	0.59	0.60	0.48	0.40	0.23	0.17	0.04	0.00	0.00
16	झारखंड	2.60	3.04	2.56	1.00	0.89	0.77	0.20	0.05	0.04	0.46	0.52	0.45
17	कर्नाटक	17.20	22.22	18.21	5.90	8.44	6.21	3.00	1.68	1.41	17.16	21.53	16.67
18	केरल	1.23	1.32	1.12	0.20	0.22	0.19	1.07	0.86	0.78	1.42	1.32	1.02
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	33.00	36.94	32.39	18.50	17.61	13.85	1.57	0.76	0.62	4.85	6.25	4.79
21	महाराष्ट्र	25.29	30.39	24.66	8.20	9.34	7.18	4.30	1.68	1.38	23.50	28.89	20.46
22	मणिपुर	0.22	0.35	0.31	0.12	0.04	0.04	0.12	0.05	0.04	0.00	0.03	0.03
23	मेघालय	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.09	0.11	0.10	0.06	0.01	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	5.84	7.08	5.60	2.69	2.55	1.94	1.35	0.84	0.61	3.05	3.26	2.63
27	पुदुचेरी	0.15	0.18	0.17	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.07	0.09	0.06
28	पंजाब	29.25	34.90	29.45	7.25	8.46	7.17	0.90	0.49	0.41	1.70	0.71	0.58
29	राजस्थान	21.50	27.91	25.17	7.40	9.70	8.47	0.30	0.18	0.14	0.95	0.85	0.72
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	9.96	11.38	10.05	2.73	3.49	2.76	2.53	1.85	1.65	6.45	9.19	7.38
32	तेलंगाना	18.39	21.63	18.83	3.55	4.70	3.71	2.27	0.86	0.74	15.16	16.24	12.90
33	त्रिपुरा	0.27	0.28	0.19	0.05	0.02	0.02	0.09	0.06	0.02	0.02	0.03	0.02
34	उत्तराखंड	2.20	2.38	2.05	0.35	0.64	0.52	0.09	0.07	0.03	0.35	0.15	0.11
35	उत्तर प्रदेश	77.50	87.39	74.72	24.70	27.69	22.38	3.36	1.42	1.22	7.00	6.64	4.79
36	पश्चिम बंगाल	14.25	16.49	14.05	4.05	4.36	3.77	3.70	2.70	2.36	10.12	11.16	9.61
	संपूर्ण भारत	359.19	415.82	357.26	114.20	130.93	105.31	34.17	19.55	16.32	120.69	138.15	107.31

1. सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता > मांग

2. सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता > बिक्री

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान उर्वरकों की मांग, उपलब्धता और बिक्री

आंकड़े एलएमटी में

क्र.सं.	राज्य	यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
		मांग	उपलब्धता	बिक्री	मांग	उपलब्धता	बिक्री	मांग	उपलब्धता	बिक्री	मांग	उपलब्धता	बिक्री
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	17.00	17.08	14.83	4.45	3.79	3.60	3.00	1.97	1.78	17.00	15.93	13.99
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	3.85	4.00	3.60	0.89	0.68	0.52	0.85	0.62	0.55	0.17	0.25	0.19
5	बिहार	22.00	22.79	21.53	7.50	5.82	5.52	2.50	1.52	1.38	4.00	4.44	3.96
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	7.00	9.66	8.00	3.80	3.69	3.53	1.01	1.09	0.83	1.30	1.46	1.31
8	दादरा और नगर हवेली	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.20	0.30	0.26	0.04	0.05	0.03	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
11	गोवा	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.02	0.03	0.03
12	गुजरात	24.00	24.93	21.90	5.00	5.43	5.00	1.20	1.22	1.09	5.95	7.35	6.69
13	हरियाणा	20.50	23.26	20.75	6.00	5.33	4.96	0.56	0.67	0.57	0.70	0.63	0.54
14	हिमाचल प्रदेश	0.79	0.90	0.74	0.02	0.01	0.00	0.08	0.10	0.04	0.38	0.34	0.19
15	जम्मू और कश्मीर	1.43	2.11	1.67	0.80	0.57	0.44	0.40	0.25	0.19	0.03	0.02	0.00
16	झारखंड	2.60	3.01	2.57	1.00	0.97	0.91	0.20	0.05	0.01	0.46	0.49	0.45
17	कर्नाटक	16.50	21.04	17.84	6.54	6.37	5.73	3.17	2.74	2.54	17.20	20.82	18.72
18	केरल	1.22	1.29	1.15	0.20	0.14	0.14	1.10	0.86	0.77	1.45	1.43	1.26
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	35.00	33.01	29.18	19.50	12.54	12.03	1.80	1.31	1.18	4.35	5.31	4.96
21	महाराष्ट्र	25.50	28.29	23.68	8.50	6.42	5.87	4.50	3.63	3.26	21.50	28.97	25.75
22	मणिपुर	0.27	0.24	0.14	0.14	0.03	0.01	0.14	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01
23	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.09	0.03	0.01	0.06	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.02	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	5.64	6.36	5.53	2.68	2.51	2.37	1.43	1.17	1.07	2.80	2.77	2.49
27	पुदुचेरी	0.12	0.15	0.15	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.07	0.08	0.07
28	पंजाब	28.00	34.95	31.34	8.00	6.58	6.27	1.00	0.87	0.64	0.76	1.47	1.21
29	राजस्थान	21.00	25.43	22.59	7.70	6.59	6.10	0.30	0.31	0.24	0.63	1.23	1.20
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	10.10	10.85	10.40	2.90	2.56	2.39	3.00	2.80	2.53	6.92	9.25	8.17
32	तेलंगाना	19.00	19.19	17.12	4.20	3.14	2.98	3.10	1.50	1.39	18.60	15.07	13.24
33	त्रिपुरा	0.27	0.32	0.18	0.05	0.04	0.01	0.09	0.05	0.01	0.02	0.03	0.01
34	उत्तराखंड	2.16	2.30	2.09	0.32	0.43	0.31	0.09	0.09	0.04	0.30	0.24	0.22
35	उत्तर प्रदेश	78.00	82.30	71.12	29.50	23.75	21.20	3.80	2.12	1.91	8.00	6.78	6.36
36	पश्चिम बंगाल	14.23	15.84	13.30	4.05	3.03	2.70	3.70	2.09	1.89	10.12	11.30	10.34
	संपूर्ण भारत	356.53	389.68	341.73	123.90	100.49	92.64	37.10	27.06	23.93	122.74	135.74	121.37

1 सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता > मांग

2. सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता > बिक्री